

मि. सं. 29-01/2022-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली-110012
दिनांक 28 नवंबर, 2022

सेवा में,

Sh. Gurukirat Singh
VPO, Kairon-143415
(Punjab)
Email gmahla12@gmail.com

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री0 Gurukirat Singh, Punjab, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00081 दिनांक 28.10.2022)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्याओं का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

माँगी गई जानकारी	जवाब
I would like to know sources through which government has collected dated ^{data} regarding farmers.	A Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programs for Extension Reforms" popularly known as ATMA Scheme is being implemented in 704 districts of 28 States & 5 UTs in the country (including all the 22 districts of Punjab). The Scheme promotes decentralized farmer-friendly extension system in the country. The objectives of the Scheme is to support State Government's efforts and to make available latest agricultural technologies and good agriculture practices in different thematic areas of agriculture and allied areas to farmers through different extension activities viz. Farmers Training, Demonstrations, Exposure Visits, Kisan Mela, Mobilization of Farmers Groups and organizing Farm Schools etc. Sources of farmers beneficiaries under the Scheme is progress reports submitted by the State Nodal Officers designated by the State Government concerned.

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कमरा संख्या 204, कृषि विस्तार सदन,
पूसा, नई दिल्ली-110 012,
दूरभाष:- 011-25843404 व ई-मेल पता:-shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया

दीपा पांडे
28/11/2022
(दीपा पांडे)

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आई.ओ.)

दूरभाष:- 011.25846467

ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज व अनुभाग अधिकारी (आई.टी.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।